न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/27 दायरा दिनांक : 12.03.2024

उनवान

1. मोहनदास आयु 68 वर्ष पुत्र श्री पन्नादास, जाति बैरागी, निवासी जलवाडा
2. सीताराम आयु 66 वर्ष पुत्र श्री पन्नादास, जाति बैरागी, निवासी जलवाडा
3. घनश्याम आयु 63 वर्ष पुत्र श्री पन्नादास, जाति बैरागी, निवासी जलवाडा, पुजारीगण श्री राधाकृष्ण मन्दिर जलवाडा, निवासीगण जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. माफी मन्दिर श्री मोहनलाल जी ग्राम जलवाडा जरिये पुजारी रघुनन्दन, आयु 58 वर्ष पुत्र श्री मांगीदास, जाति बैरागी, निवासी जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री कृष्णकान्त शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री राधावल्लभ नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.05.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 00211/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम जलवाडा, तहसील किशनगंज में माफी मन्दिर श्री मोहनलाल जी आराजी खसरा नं. 328 रकबा 19.06 बीघा, खसरा नं. 329 रकबा 11.19 बीघा व खसरा नं. 322 रकबा 25.05 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 56.10 बीघा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2022 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व न्याय के स्वीकृत सिद्धांतों से परे होने से काबिल खारजा है। वादपत्र में रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में राधाकृष्ण जी का नाम गलत दर्ज होना बताकर स्वयं सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करने के उद्देश्य से उसका सीधा सम्बन्ध नहीं होने पर भी चालाकी से उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट कम 1 के अपने अकेले का नाम दर्ज करवाने का असफल प्रयास किया जा रहा है। उक्त विवाद में अपीलांट को पक्षकार न बनाया जाकर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा इस तरह का त्रुटिपूर्ण व कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध निर्णय दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजों का समुचित विवेचन नहीं करके उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है, इस कारण उक्त निर्णय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम जलवाडा, पटवार हल्का जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बाराँ राजस्थान की आराजी खसरा नम्बर 328 रकबा 19.06 बीघा, खसरा नम्बर 329 रकबा 11.19 बीघा एवं खसरा नम्बर 322 रकबा 25.05 बीघा तथा खसरा नम्बर 332 रकबा 10.15 बीघा कुल किता चार कुल रकबा 67.05 बीघा आराजी मंदिर मूर्ति श्री राधाकृष्ण जी विराजमान जलवाड़ा के नाम दर्ज थी, जिसकी रेस्पोडेंट कम 1 रघुनन्दन एवं अपीलांटगण के द्वारा बारी बारी से एक एक वर्ष सेवा पूजा की जाती रही एवं उसकी व्यवस्था के लिए उक्त सम्पूर्ण आराजी बारी बारी से एक एक वर्ष काश्त की जाती रही। उक्त आराजी पर सदैव से पहले अपीलांट व रेस्पोडेंट के पूर्वज एवं उसके बाद अपीलांट व रघुनन्दन वगै० काबिज काश्त रहे। जिस पर राजस्व रिकार्ड में दोनों के पूर्वजों का नाम बहेसियत पुजारी दर्ज चला आ रहा है। किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को उनके हक हकूकों से वंचित करने के लिए राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके उक्त आराजी पर माफी मंदिर श्री मोहनलाल जी नाम तन्हा खातेदार के रूप में नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी वैध कानूनी प्रक्रिया को अपनाए दर्ज करवाने का प्रयास कर रहा है। इसी कम में उसके द्वारा बनावटी व काल्पनिक आधारों पर उक्त वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया तथा रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए उक्त आराजी पर अपीलांट एवं माफी मंदिर श्री राधाकृष्ण जी को पक्षकार बनाए एवं सूचना दिये बगैर उनका नाम पृथक नहीं किया जा सकता, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर ध्यान न देकर निर्णय करने में भारी कानूनी भूल की है। इस कारण उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। उक्त विवादित आराजी अपीलांट के आराध्य श्री राधाकृष्ण जी के खातेदारी की एवं अपीलांट के जर्ये पुजारी कब्जे काश्त की पेतृक आराजी है किन्तु रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा न्यायालय को गुमराह करके अपने पक्ष में उक्त आदेश करवा लिया। वास्तविकता यह है कि उक्त आराजियात पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट रघुनन्दन द्वारा बारी बारी से एक एक वर्ष काश्त की जाती रही। उक्त आराजी पर सदैव से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पहले अपीलांट व रेस्पोडेंट के पूर्वज एवं उसके बाद अपीलांट व रघुनन्दन वगै० काबिज काश्त रहे। जिस पर राजस्व रिकार्ड दोनों के पूर्वजों का नाम बहेसियत पुजारी दर्ज चला आ रहा है। उनके बाद पुजारियों के सभी वंशज उस आराजी को काश्त करने के समान अधिकारी थे, कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तों एवं सुप्रीम कोर्ट के मतानुसार उक्त आराजी पर समस्त उत्तराधिकारियों को बराबर हक व अधिकार होता है। किन्तु रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा मिथ्या व काल्पनिक आधारों पर फर्जी तथ्यों को लेकर उक्त वादपत्र पेश किया तथा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके उक्त विधि विरूद्ध आदेश करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर कतई गौर न करके मनमर्जी अपीलांट के विपक्ष में फैसला सुना कर भारी कानूनी त्रूटि की है, इस कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो उक्त काश्त व्यवस्था पर कोई ध्यान दिया गया एवं न ही नियम एवं रिकार्ड एव पेतृक अधिकारों पर कोई गौर किया गया। मात्र रेस्पोडेन्ट कम 1 के प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को ही सही मानकर उस पर अपना निर्णय सुना दिया गया है, जबकि अपीलांट के पूर्वजों की मृत्यु होने के बाद से रेस्पोडेन्ट कम 1 रघुनन्दन के मन में बदयान्ति आ गई और उन्होंने इस बात का गलत फायदा उठाने के उद्देश्य से उनकी आराजियात पर मनगढन्त रूप से फर्जी तथ्यों की आड में अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पेश किया, जिसमें अपीलांट एवं मंदिर मूर्ति राधाकृष्णजी आवश्यक पक्षकार होते हुए भी जानबूझ कर उन्हें पक्षकार नहीं बनाया एवं उनको सूचना दिये बिना उनसे छिपाकर उक्त आदेश अपने पक्ष में करवा लिया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर कोई ध्यान न दे कर मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों की अवहेलना की है, इस कारण उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी किशनगंज के निर्णय दिनांक 12.11.2022 को निरस्त फरमा कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय करने हेतु उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी किशनगंज रिमाण्ड किया जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि रेस्पोडेंट के द्वारा उक्त निर्णय व आदेश की प्रति सिविल न्यायाधीश, बारां के न्यायालय में पेश होने पर अपीलांटगण को उक्त

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय की जानकारी हुई, जिसके बाद नकल निर्णय प्राप्त कर उक्त अपील पेश की जा रही है, अपील नकल निर्णय प्राप्त करने से अन्दर मियाद पेश की जा रही अतः विलम्ब का शमन किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान् कथन किया कि अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही हमारी बहस मानी जावे तथा अपील अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है अतः अपील खारिज की जावे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92, 92ए, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा पेश कर कथन किया है कि ग्राम जलवाडा, तहसील किशनगंज में माफी मंदिर श्री मोहनलाल आराजी कुल किता 3 कुल रकबा 56.10 बीघा स्थित है। वर्णित आराजी राजस्व कर्मचारियों ने मिली भगत व साठ–गांठ से अवैधानिक तरीके से सम्वत् 2035 से 2038 में उक्त आराजी को माफी मंदिर श्री राधाकृष्ण जी के खाते अंकित कर दी है जबकि उक्त आराजी माफी मंदिर श्री मोहनलाल जी की है। उक्त आराजी में माफी मंदिर श्री राधाकृष्ण जी का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। जिसको खाता दुरूस्त करवा कर वादी उक्त आराजी को माफी मंदिर श्री राधाकृष्ण जी का नाम खाता

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व रेकार्ड से हटवा कर माफी मंदिर श्री मोहनलाल जी के खाते अंकित करवाने का अधिकारी है।

वादीगण के उक्त दावे पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2022 में अंकित किया कि ग्राम जलवाडा, तहसील किशनगंज की कुल 3 किता की 56.10 बीघा के चालू राजस्व रेकार्ड से माफी मंदिर श्री राधाकृष्ण जी का नाम हटाया जाकर माफी मंदिर श्री मोहनलाल जी दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट मोहनदास, सीताराम व घनश्याम ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के तहत वादी रेस्पोडेंट के खिलाफ इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 2024/27 से अपील दायर कर कथन किया कि ग्राम जलवाडा, तहसील किशनगंज की आराजी खसरा नं. 328 रकबा 19.06 बीघा, खसरा नं. 329 रकबा 11.19 बीघा, खसरा नं. 322 रकबा 25.05 बीघा, खसरा नं. 332 रकबा 10.15 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 67.05 बीघा आराजी मंदिर मूर्ति श्री राधाकृष्ण जी विराजमान जलवाडा के नाम दर्ज थी जिसको रेस्पोडेंट क्रम 1 रघुनन्दन एवं अपीलाटंगण के द्वारा बारी बारी से एक एक वर्ष सेवा–पूजा की जाती रही एवं उसकी व्यवस्था के लिए उक्त सम्पूर्ण आराजी बारी बारी से एक एक वर्ष काश्त की जाती रही। जिस पर राजस्व रिकार्ड में दोनों के पूर्वजों का नाम बहेसियत पुजारी दर्ज चला आ रहा है किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को उनके हक हकूको से वंचित करने के लिए राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके उक्त आराजी पर माफी मंदिर श्री मोहनलालजी का नाम तन्हा खातेदार के रूप में नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी वैध कानूनी प्रकिया को अपनाये दर्ज करवाने का प्रयास कर रहा है। रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए उक्त आराजी पर अपीलांट एवं माफी मंदिर श्री राधाकृष्णजी को पक्षकार बनाये एवं सूचना दिये बगैर उनका नाम पृथक नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के निर्णय दिनांक 12.11.2022 को निरस्त फरमा कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड किये जाने के आदेश फरमावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2022 के विरूद्ध धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के तहत यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आर्डर 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत वाद में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आर्डर 1 नियम 10 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 16.02.2018 से खारिज कर अपने आदेश में यह माना है कि वाद पत्र

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

में वर्णित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। यह भूमियां दोनों मन्दिर के नाम से अलग अलग खाते दर्ज है। वादग्रस्त भूमियां माफी मन्दिर की है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार निहित नहीं है। अतः व्यक्ति विशेष को प्रकरण में पक्षकार बनाना न्यायसंगत नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2016 से 2035 के अनुसार खाता संख्या 318 के खसरा नम्बर 322, 328 व 329 कुल किता 3 कुल रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा आराजी माफी मन्दिर श्री मोहनलाल जी वाके देह पुजारी धन्नादास, पन्नादास पिता गोपीदास हिस्सा 1/2 माधोदास पुत्र नारायण दास हिस्सा 1/2 जाति बैरागी, साकिन देह दर्ज रेकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम जलवाडा, तहसील किशनगंज सम्वत 2035 से 2038 के अनुसार खसरा नं. 322, 328, 329 कुल किता 3 कुल रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा आराजी माफी मन्दिर राधाकृष्ण जी वाके देह पुजारी श्री मोहनलाल, सीताराम, घनश्याम पिता पन्नादास व गुणीसी बेवा धन्नादास हिस्सा 1/2, मांगीदास पुत्र माधोदास हिस्सा 1/2 साकिन देह रिज्यूम दिनांक 01.07.1963 दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न उपरोक्त दोनों नकल जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नकल जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2016 से 2035 में खसरा नम्बर 322, 328, 329 की आराजी माफी मन्दिर श्री मोहनलाल जी के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी तथा सैटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2016 से 2035 के बाद तैयार की गई जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 में खसरा नम्बर 322, 328, 329 की आराजी माफी मन्दिर राधाकृष्ण जी के नाम दर्ज कर दी गई। इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार किशनगंज द्वारा दिनांक 08.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से भी होती है। तहसीलदार ने अपने जवाब में खसरा नं. 322, 328, 329 की 56.10 बीघा भूमि माफी मन्दिर राधाकिशन जी के खाते से हटाकर माफी मन्दिर मोहनलाल जी वाके देह के खाते दर्ज करने की अनुशंसा की है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। वादग्रस्त आराजी किसी व्यक्ति विशेष के खातेदारी की आराजी नहीं होकर माफी मन्दिर के खाते दर्ज रेकॉर्ड है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं होने के कारण अपील अपीलांट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के स्तर पर ही खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/05/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा